उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR
बहादराबाद, हरिद्वार – दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग
BAHADARABAD, HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY
पो० – बहादराबाद (हरिद्वार)– 249402
P.O. : BAHADARABAD (HARIDWAR)-249402
Website : www.usvv.ac.in

पत्रांक 97 /प्रशासन/2021 दिनांक 14 जून, 2021

सेवा में,

Kartheek VM
Major
Officiating Director Recruiting
Army Recruiting Office, Agra
65, Taj Road, Agra Cantt
Uttar Pradesh.

विषय :– Education Qualification : Shastri And Aacharya

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–D/201/Rally 2019-20 दिनांक 26 अप्रैल, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 02 बिन्दुओं पर जानकारी माँगी गयी है :–

(a) Whether Shastri equivalent to Bachelor degree (BA) or Not.
(b) Whether Aacharya equivalent to Master degree (MA) or Not.

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शास्त्री/आचार्य डिग्री के सम्बन्ध में भारत का राजपत्र संख्या–271 नई दिल्ली, जुलाई 5–11, 2014 एवं संस्कृत साउन्डिंग डिग्रियाँ की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है जिसमें शास्त्री को Bachelor degree एवं आचार्य को Master degree के रूप में परिभाषित किया गया है।

मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(दिनेश कुमार)
उपकुलसचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव।
3. श्री सुशील कुमार, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विषय को इस आशय के साथ प्रेषित की वह विश्वविद्यालय की वेब–साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14/06/2021

(दिनेश कुमार)
उपकुलसचिव

२५

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5—जुलाई 11, 2014 (आषाढ़ 14, 1936)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5—JULY 11, 2014 (ASADHA 14, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

डिग्रियों का विनिर्देशन

नई दिल्ली, मार्च 2014

मि.सं. 5-1/2013 (सीपीपी-II)—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (3/1956) के अनुच्छेद (22) के उप-अनुच्छेद (3) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन तथा डिग्रियों के विनिर्देशन से संबद्ध पिछली सभी अधि सूचनाओं का प्रतिस्थापन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), केन्द्र सरकार की स्वीकृति से इस अधिसूचना के माध्यम से अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत डिग्रियों की नामावली विनिर्देशित कर रहा है।

विनिर्देशित डिग्रियाँ

उच्चतर शिक्षा के समस्त स्तरों पर जिन डिग्रियों की विस्तृत नामावलिया विनिर्देशित की जा रही है। उनका सभी विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों को अनिवार्य रूप से पालन करना है। विनिर्देशित डिग्रियों की नामावलियों के साथ साथ, न्यूनतम प्रवेश स्तर अर्हताएं एवं पाठ्यक्रम की अवधि का भी दर्शाया गया है। निम्न तालिका के नीचे ऐसी डिग्रियों की नामावलियां भी दी गई है जो वर्तमान में प्रचलन में है परन्तु जिनमें न तो पारम्परिक और ना ही वास्तविक ज्ञान नताधार को प्रतिबिम्बित करने वाली बात पाई गई। ऐसी

105	एमपीटी	मास्टर आफ फिजियोथेरेपी	मास्टर्स	2	बैचलर्स
106.	बीएससी (अभिघात देखरेख प्रबन्धन)	बैचलर आफ साइंस (ट्रोमा केयर मैनेजमेन्ट)	बैचलर्स	4	10+2
107.	फार्म.डी.	डाक्टर आफ फार्मेसी	मास्टर्स	6	10+2
108.	एम.फार्म	मास्टर आफ फार्मेसी	मास्टर्स	2	बैचलर्स
109.	बी.फार्म.	बैचलर आफ फार्मेसी	बैचलर्स	4	10+2
110.	बी.फार्म (आयु)	बैचलर आफ फार्मेसी (आयुर्वेद)	बैचलर्स	4	10+2
	बीएएम/बीआईएम को बीएएमएस के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.नेट (आयु) को बीएनवाईएस के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.नेट (योगिक) को बीएनवाईएस के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएएमएस को एम डी (आयुर्वेद) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएचएमएस को एमडी (होम्यो) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमयूएमएस को एम डी (यूनानी) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएस (फार्म) को एम फार्म के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीएस (ट्रौमा) को बी.एससी. (ट्रौमा केयर मैनेजमेन्ट सिस्टम) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएई को एम.एससी. (एपिडिमाइलोजी) के रूप में पुनर्गठित किया जाए				

पुनर्वास विज्ञान

क्र.सं.	विनिर्दिशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
111.	बी.एड. स्पे.एड.	बैचलर आफ एजुकेशन–स्पेशल एजुकेशन	बैचलर्स	1	बैचलर्स
112.	एम.एड.स्पे.एड.	मास्टर आफ एजुकेशन–स्पेशल एजुकेशन	मास्टर्स	1	बीएड.स्पेशल एजुकेशन
113.	बी.पी.ओ.	बैचलर आफ प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स	बैचलर्स	4	10+2
114.	एम.पी.ओ.	मास्टर आफ प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स	मास्टर्स	2	बी.पी.ओ.
115.	बी.एएसएलपी	बैचलर इन ऑडियोलोजी एण्ड स्पीच लैन्वेज पैथोलोजी	बैचलर्स	4	10+2
116.	एम.एएसएलपी	मास्टर इन ऑडियोलोजी एण्ड स्पीच लैन्वेज पैथोलोजी	मास्टर्स	2	बी. एएसएलपी
117.	बी.आर.एससी.	बैचलर इन रिहेबिलिटेशन साइंस	बैचलर्स	3	10+2
118.	एम.आर.एससी.	मास्टर इन रिहेबिलिटेशन साइंस	मास्टर्स	2	बैचलर्स

संस्कृत साउन्डिंग डिग्रियाँ

क्र.सं.	विनिर्दिशित डिग्रियाँ	स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
119.	शास्त्री/शास्त्री (आनर्स)	बैचलर्स	3	10+2
120.	आचार्य	मास्टर्स	2	बैचलर
121.	शिक्षा शास्त्री	बैचलर्स	1	बैचलर
122.	शिक्षा आचार्य	मास्टर्स	1	शिक्षा शास्त्री
123.	विशिष्टाचार्य	प्री–डॉक्टोरल	1	आचार्य/मास्टर
124.	विद्या वारिधि	डॉक्टोरल	2	मास्टर
125.	वाचस्पति	शोधोत्तर	2	पीएच.डी./विद्या वारिधि

विश्वविद्यालय इन डिग्रियों के अंग्रेजी समतुल्य शब्दों को विकृत/अनियमित रूप में अथवा चिन्ह /द्वारा अंक तालिका/डिग्री प्रमाण पत्र पर लिखने के लिए स्वतन्त्र होंगे।